



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

66-2020/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MAY 15, 2020 (VAISAKHA 25, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 मई, 2020

संख्या 22/76/2003-2परि(1).- मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 67 की उपधारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना 22/76/2003-2परि(1), दिनांक 4 नवम्बर, 2019 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा को हरियाणा राज्य में मंजिली गाड़ियों के लिये किराये और माल-भाड़े की दरों को नियत करने सम्बन्धी निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात्:-

निर्देश

राज्य परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि राज्य में मंजिली गाड़ियों के लिये किराये और माल-भाड़े की निम्नलिखित दरें नियत करें:-

क्रम संख्या	सेवा की किस्म	सकल किराया (यात्री कर को शामिल करने के उपरान्त) पैसा/यात्री प्रति किलोमीटर	व्यक्तिगत सामान का भाड़ा
1	2	3	4
1.	मैदानी क्षेत्र में सभी पक्की सड़कों के लिए	(i) 100 किलोमीटर की दूरी तक 100.00 (ii) 100 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिये 105.00	40 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से अधिक सामान पर प्रति किलोमीटर प्रति 40 किलोग्राम के लिये आधा भाड़ा।
2.	उश्मादार, हवादार और वातानुकूलित बसें	150.00	
3.	अंतर्राज्यीय आराम-देय वातानुकूलित बसें (दिल्ली-चण्डीगढ़ को जोड़ने वाले राज्य के लॉन्ग रूट पर पुरानी वोल्वो/मर्सिडिज बसें) वोल्वो/मर्सिडिज	175.00	
4.	परम आराम-देय वातानुकूलित बसें। वोल्वो/मर्सिडिज (चण्डीगढ़-दिल्ली-गुरुग्राम मार्ग पर परिचालित)	250.00	

व्याख्या:-

1. अगर दूरी 100 किलोमीटर से अधिक है, तो प्रथम 100 किलोमीटर सहित सम्पूर्ण दूरी पर किराया 105.00 पैसा प्रति यात्री प्रति किलोमीटर होगा।
2. न्यूनतम प्रभार्य किराया (यात्री कर सम्मिलित करने के पश्चात्) पाँच रुपये होगा।
3. व्यक्तिगत सामान किराया प्रति किलोमीटर प्रति 40 किलोग्राम के लिये मानक/साधारण बसों के किराए का आधा होगा। 40 किलोग्राम वजन से कम व्यक्तिगत सामान के लिये कोई किराया नहीं लिया जायेगा।
4. अन्य व्याख्या :-
 - (क) बस मार्गों के विभिन्न प्रक्रमों के लिये (यात्री कर सम्मिलित करने के पश्चात्) संगणित किराये को नजदीकी रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा।
 - (ख) आधे किलोमीटर से कम के भाग को नहीं गिना जायेगा और आधे किलोमीटर से अधिक को पूर्ण किलोमीटर गिना जायेगा।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT
TRANSPORT DEPARTMENT**

Notification

The 15th May, 2020

No. 22/76/2003-2T (I).- In exercise of the powers conferred by clause (i) of Sub-section (1) of Section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) and in supersession of Haryana Government, Transport Department, Notification No. 22/76/2003-2T(I), dated the 4th November, 2019, the Governor of Haryana hereby issues to the State Transport Authority, Haryana, the following directions regarding fixation of rates of fare and freights for stage carriage in the State of Haryana, namely:-

DIRECTIONS

The State Transport Authority, Haryana is hereby directed to fix the following rates of the fare and freights for stage carriages in the State:-

Serial Number	Type of services	Gross fare (after including passenger tax) Paise/Passenger per kilometre	Freight for personal luggage
1	2	3	4
1.	All metalled roads in plains	i) 100.00 upto distance of 100 Kilometers ii) 105.00 for distance above 100 Kilometers	Half the fare per kilometre per 40 kilograms for luggage in excess of 40 kilograms per person.
2.	Heating Ventilating and Air Conditioning Buses (HVAC)	150.00	
3.	Intra-State Luxury Air Conditioned Buses (Old Volvo/Mercedes buses on state long routes connecting Delhi-Chandigarh) Volvo/Mercedes	175.00	
4.	Super Luxury Air Conditioned Buses. Volvo/Mercedes (Operating on Chandigarh-Delhi-Gurugram routes)	250.00	

Explanations:-

1. If distance is more than 100 kilometers, the fare shall be 105.00 paise per passenger per kilometre for the entire distance including first 100 kilometre.
2. The minimum chargeable fare (after including passenger tax) shall be five rupees.
3. Freight for personal luggage shall be half of the standard/ordinary bus fare per Kilometre per 40 Kilograms. No fare shall be charged for personal luggage below 40 Kilograms of weight.
4. Other explanations:-
 - (a) Fare calculated (including Passenger Tax) for different stages of bus routes shall be rounded off to the nearest rupee.
 - (b) The fraction below half a kilometre shall be ignored and more than half a kilometre shall be treated as full kilometre.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Transport Department.